रिक्त सीटों के विरूद्ध प्रवेश हेतु सूचना

विश्वविद्यालय में संचालित निम्न पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटों के विरूद्ध प्रवेश हेतु आवेदन पत्र 6 जुलाई 2013 तक आमंत्रित किये जाते हैं। प्रवेश हेतु पात्रता (Eligibility) निम्नानुसार है।

No.	Name of the Course	Course code	Eligibility	Admission method
1.	5-Year Integrated UG/PG in English	109	Min. 50% aggregate at 10 + 2 level from any recognized Board or equivalent Max. age limit: 22 years	Merit of qualifying exam.
2.	5-Year Integrated UG/PG in Hindi	110	Minimum 50% aggregate at 10+2 level from recognizedBoard or equivalent Max. age limit: 22 years	Merit of qualifying exam.
3	5-Year Integrated UG/PG in Library & Information Science	113	Minimum 50% aggregate at 10+2 level from recognizedBoard or equivalent Max. age limit: 22 years	Merit of qualifying exam.
4.	5-Year Integrated UG/PG in Journalism & Mass Communication	112	Min. 50% aggregate at 10+2 level from any recognized Board or equivalent Max. age limit: 22 years	Merit of qualifying exam.
5.	5-Year Integrated UG/PG in Economics	107	Minimum 50% aggregate at 10+2 level from recognizedBoard or equivalent Max. age limit: 22 years	Merit of qualifying exam.
6.	5-Year Integrated UG/PG in History	111	Min. 50% aggregate at 10+2 level from any recognized Board or equivalent Max. age limit: 22 years	Merit of qualifying exam.
7.	5-Year Integrated UG/PG in Political Science	116	Minimum 50% aggregate at 10+2 level from recognizedBoard or equivalent Max. age limit: 22 years	Merit of qualifying exam.
8.	5-Year Integrated UG/PG in Social Work	123	Min. 50% aggregate at 10+2 level from any recognized Board or equivalent Max. age limit: 22 years	Merit of qualifying exam.
9.	5-Year Integrated UG/PG in Anthropology & Tribal Development	101	Min. 50% aggregate at 10 + 2 level from any recognized Board or equivalent Max. age limit: 22 years	Merit of qualifying exam.
10.	5-Year Integrated UG/PG in Botany	103	Min. 50% aggregate at 10+2 level with Bio. Group from any recognized Board or equivalent . Max. age limit: 22 years	Merit of qualifying exam.
11.	5-Year Integrated UG/PG in Electronics	108	Minimum50% aggregate at 10+2 level with Maths from any recognized Boardorequivalent Max. age limit: 22 years	Merit of qualifying exam.
12.	5-Year Integrated UG/PG in Rural Technology	117	Min. 50% aggregate at 10 + 2 level with Bio/Maths/Agriculture /from any recognized Board or equivalent Max. age limit: 22 years	Merit of qualifying exam.
13.	M.Sc. in Electronics	308	B.Sc. (Hon's) in Electronic / Physics or Electronics/Physics as only main subject in B.Sc. 3rd year with Minimum 50 % aggregate from recognized university/institution Max. age limit: 25 years	Merit of qualifying exam.
14.	M.Com.	317	B.Com.With50 % marks from any recognized university/institution Max. age limit: 25 years	Merit of qualifying exam.
15.	M.Sc. in Rural Technology	318	B.Sc.(Hon's) in Bio/Math or B.Sc. Agri./BE/B.Tech with minimum 50% aggregate from any recognized	Merit of qualifying

No.	Name of the Course	Course code	Eligibility	Admission method
			University/institution Max. age limit: 25 years	exam.
16.	M.Sc. (Forestry,Wild - Life & Environmental Sc.)	319	B.Sc. Forestry /B.Sc. Agriculture/B.Sc. Hons. (Biology or Math. Group) with Minimum 50% aggregate from any recognized university/ institution Max. age limit: 25 years	Merit of qualifying exam.
17.	M.A./M.Sc. Anthropology & Tribal Development	320	B.A./B.Sc.(Hon's) in Anthropology or Anthropology as only main subject in B.A./B.Sc. third year with minimum 50% aggregate from any recognized university/institution	Merit of qualifying exam.
18.	M.A. in Public Administration	321	Bachelor's Degree in any discipline under at least (10+2+3) pattern OR equivalent with a minimum of 50% aggregate marks from any recognized university/institute Max. age limit: 25 years	Merit of qualifying exam.
19	M.A. in Political Science	328	B.A. (Hon's) in political science or political science as only main subject in B.A. 3rd year with Min. 50% aggregate from any recognized university/institution Max. age limit: 25 years	Merit of qualifying exam.
20.	M.A. in History	322	B.A. (Hon's) in History or History as only main subject in B.A. 3rd year with Min. 50% aggregate from any recognized university/institution Max. age limit: 25 years	Merit of qualifying exam.
21.	M.A. in Economics	323	B.A. (Hon's) in Economics or Economics as only main subject in B.A. 3rd year with Min. 50% aggregate from any recognized university/institution Max. age limit: 25 years	Merit of qualifying exam.
22.	M.A. in English	325	B.A. (Hon's) in English or English as only main subject in B.A. 3rd year with Min. 50% aggregate from any recognized university/institution Max. age limit: 25 years	Merit of qualifying exam.
23	M.A. in Hindi	324	B.A. (Hon's) in Hindi or Hindi as only main subject in B.A. 3rd year with Min. 50% aggregate from any recognized university/institution Max. age limit: 25 years	Merit of qualifying exam.
24.	Master of Mass Communication (M.M.C.J.)	326	B.A. (Hon's) in Journalism or Graduation with Mass Communication or Bachelor in Journalism and Mass Communication with minimum 50% aggregate from any recognized University /institution Max. age limit: 25 years	Merit of qualifying exam.
25.	Diploma in German language	602	Min. 50% aggregate at 10 + 2 level from any recognized Board or equivalent Max. age limit: 25 years	Merit of qualifying exam.
26.	Diploma in French language	603	Min. 50% aggregate at 10 + 2 level from any recognized Board or equivalent Max. age limit: 25 years	Merit of qualifying exam.

Note: All the Integrated UG/PG programmes have the option of exit on completion of 3 years (6 semesters) UG programme

5 years relaxation in upper age limit for SC/ST/PH and 3 years for OBC candidates.

Please check the eligibility criteria before applying.

आवेदन शुल्क–

आवेदन शुल्क **सामान्य** एवं **अन्य पिछडे वर्ग** हेतु रू. 400.00 तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/विकलांग वर्ग हेतु रू.200.00 निर्धारित है। आवेदन शुल्क का भुगतान **कुलसचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यायल बिलासपुर, छ.ग.** के पक्ष में एवं बिलासपुर पर देय किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, अथवा **सम्बंधित विभाग**से जारी चालान के माध्यम से विश्वविद्यायल परिसर में स्थित पंजाब नेशनल बैंक या बैंक आफ इण्डिया में नकद जमा द्वारा किया जा सकता है

1. प्रवेश आवेदन फार्म

(अ) आवेदन फार्म विश्वविद्यालय की वेबसाइटwww.ggu.ac.inसे डाउनलोड किया जा सकता है अथवा **सम्बंधित विभाग** से प्राप्त किया जा सकता है।

2. प्रवेश विवरण–

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और शारीरिक विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम पात्रता में छूट

सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और शारीरिक विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों, के लिए अर्ह परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्त करने की बाध्यता नहीं होगी, किन्तु उन्हें अर्ह परीक्षा में पास होना चाहिए।

2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग और शारीरिक विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए उपरी आयु सीमा में छूट।

सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,और शारीरिक विकलांग श्रेणियों के लिये 05 वर्ष एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिये 03 वर्ष की छूट है। यह उन पाठ्यक्रमों के लिए हैं, जहां आयु सीमा निर्धारित है।

यदि अभ्यर्थी के अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंक, निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत से कम है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा और अभ्यर्थी शुल्क वापसी के लिए दावा नहीं कर सकेगा।

3.1 जुलाई 2013 को स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु 22 वर्ष तथा **परास्नातक** एवं **डिप्लोमा** पाठ्यक्रमों हेतु 25 वर्ष निर्धारित की गई है।अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग वर्ग हेतु 5 वर्ष तथा अन्य पिछडे वर्ग हेतु 3 वर्ष की छूट प्रदान की गयी है।

4. ऐसे आवेदक जिन्होंने जाली/नकली अथवा धोखाधड़ी का सहारा लेकर प्रवेश लिया है उनके आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य में आयोजित किसी भी परीक्षा में शामिल होने से वंचित कर दिया जायेगा।

5. अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में अनंतिम रूप से सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाती है, जो प्रवेश के समय अंक पत्रों/डिग्री/प्रमाण–पत्रों के अंतिम सत्यापन, अर्हता परीक्षा की अंकसूची/ प्रमाण–पत्रों की वैधता और पूर्व में आयोजित विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करने के अधीन होगी।

6. प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने मात्र अथवा प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्णांक अर्जित कर लेने मात्र से ही अभ्यर्थी उस पाठ्यक्रम में प्रवेश का हकदार नहीं हो जायेगा। उसे पाठ्यक्रमानुसार पात्रता की शर्तों को पूर्ण करना भी आवश्यक होगा। आवेदन भरने के पूर्व पाठ्यक्रम के अनुसार न्यूनतम पात्रता के संबंध में पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाना चाहिए।

7. यदि किसी अभ्यर्थी को असावधानीवश विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी जाती है, जो पाठ्यक्रम के अनुसार न्यूनतम पात्रता को पूरा नहीं करता, तो वह बाद में अधिकार के रूप में पात्रता की शर्तें पूर्ण करने का दावा नहीं कर सकता है।

नोट–विश्वविद्यालय किसी भी समय प्रवेश निरस्त/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि पाया जाता है कि :–

1. अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता शर्तें पूर्ण नहीं करता है।
2. झूठे/नकली/जाली दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हों तथा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया हो।
3. कोई अन्य वैध कारण।

8. इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी एक ही साथ इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान के पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे।

9.विश्वविद्यालय ऐसे किसी भी पाठ्यक्रम को संचालित न करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिसे वह उचित समझे।

3.आरक्षण–

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति

प्रत्येक पाठ्यक्रम में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगी। इन आरक्षित स्थानों पर प्रवेश प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी का अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है ।

प्रत्येक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को स्वत: सत्यापित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। यह प्रमाण पत्र संबधित जिला मजिस्ट्रेट से पुष्टि कराया जायेगा। प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी निम्नलिखित है :–

1. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप–जिलाध्यक्ष/ प्रथम श्रेणी स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट /सब डिविजन मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/सहायक आयुक्त/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
2. चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार पद से नीचे का न हो।
4. उस क्षेत्र के प्राखण्डिक अधिकारी (सब डिविजनल आफीसर) जहां पर अभ्यर्थी अथवा उसका परिवार सामान्यत: निवास करता हो।
5. प्रशासक/प्रशासक– सचिव/विकास अधिकारी (लक्ष्यदीप समूह)।

अभ्यर्थी यह नोट कर ले कि किसी अन्य व्यक्ति/प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति संवर्ग का है तो उसकी जाति /जनजाति भारत सरकार की परिनियमावली में दर्ज होना होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए –(अ) अभ्यर्थी की जाति/जनजाति का नाम (ब) क्या वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का है (स) जिला एवं राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश का नाम जहॅा का वह सामान्यतया निवासी है, और (द) भारत सरकार की परिनियमावली जिसके अन्तर्गत उसकी जाति/जनजाति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ बी सी) :

अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये (क्रीमीलेयर को छोड़कर) 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेगीं। अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये तत्संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाना चाहिये, जैसा कि अजा./अजजा वर्ग के लिए उल्लेखित हैं।

नोट: मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और या विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय के पक्ष में किसी भी शर्त/ नियम को बदलने, जोड़ने, सुधारने या शिथिल करने का सर्वाधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।

3. शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों के लिये सीटों का आरक्षण :–

प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित सीटों का 3 प्रतिशत ऐसे विकलांग उम्मीदवारों के लिये आरक्षित (क्षैतिज आधार पर आरक्षण) रहेगा जिनकी विकलांगता की सीमा 40 प्रतिशत से कम न हो और यह विकलांगता उनकी पढ़ाई में बाधक न हो। अंतर –परिवर्तनीयता के प्रावधान के साथ विकलांगता का विभाजन इस प्रकार है– दृष्टि विकलांगता 1 प्रतिशत, श्रवण विकलांगता 1 प्रतिशतऔर अस्थि विकलांगता 1 प्रतिशत। शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को किसी शासकीय अस्पताल के सिविल सर्जन से दृष्टि/श्रवण/अस्थि विकलांगता की सीमा दर्शाने वाला प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र में विकलांगता की उस सीमा का उल्लेख भी रहेगा, जिससे उम्मीदवार की पढ़ाई में बाधा आती हो।

4. आवेदन शुल्क :–

प्रवेश आवेदन शुल्क **सामान्य** एवं **अन्य पिछडे वर्ग** हेतु रू. 400/– (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/विकलांग हेतु रू. 200/–) निर्धारित है।
1. प्रवेश आवेदन शुल्क का भुगतान दो प्रकार से किया जा सकता है।
(क) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर छ.ग. के पक्ष में जारी एवं बिलासपुर छ.ग. पर देय किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट से।
(ख) **सम्बंधित विभाग** से जारी चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय परिसर, कोनी, बिलासपुर में स्थित पंजाब नेशनल बैंक अथवा बैंक आफ इण्डिया की शाखा में नगद जमा करके।
2. मूल बैंक ड्राफ्ट/चालान की प्रति के साथ विश्वविद्यालय के वेब साइट से डाउनलोड किये गये आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर एवं समस्त शैक्षणिक अंकपत्र/प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र के साथ **विभागाध्यक्ष**, (सम्बंधित विभाग का नाम) **गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) 495009** के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर अथवा सम्बंधित विभाग में व्यक्तिगत रूप से नियत तिथि6 जुलाई 2013 तक जमा करना होगा। **अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र डाक से प्रेषित करने के बजाय व्यक्तिगत रूप से सीधे संबंधित विभाग में जमा करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा विलम्ब के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।**
नोट– अभ्यर्थी डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम एवं पाठ्यक्रम का नाम अवश्य लिखें। 2) अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा शुल्क में छूट मांगते हुए आवेदन पत्र की हार्ड कापी के साथ जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा। 3) किसी भी स्थिति में शुल्क न तो वापस किया जायेगा, न ही किसी अन्य पाठ्यक्रम के लिये स्थानांतरित अथवा परवर्ती वर्ष के लिये सुरक्षित रखा जायेगा।

5. महत्वपूर्ण तिथियॉ:–

क) आवेदन पत्र सम्बंधित विभाग में जमा करने की अन्तिम तिथि	–	6 जुलाई 2013
ख विश्वविद्यालय बेवसाइट पर सूची जारी करने की तिथि	–	10 जुलाई 2013
ग प्रवेश की तिथि	–	12 जुलाई 2013

6. आवेदन पत्र भरने के लिए दिशा निर्देशः–

आवेदन फार्म अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अपने हस्तलेख में नीली या काली पेन से भरना चाहिए। पेंसिल से भरे गये फार्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम एवं जन्मतिथि का उल्लेख आवेदन फार्म में ठीक उसी प्रकार होना चाहिए जैसा कि हाईस्कूल के अंकपत्र/सर्टीफिकेट में अंकित है।

1. डिमांड डाफ्ट/चालान का विवरण– अभ्यर्थी डाफ्ट नम्बर, तिथि, धनराशि, बैंक का नाम, जारी करने वाली शाखा का नाम, देय स्थान का नाम आवेदन पत्र के पृष्ठ कमांक 1 में निर्धारित जगह पर लिखें। विश्वविद्यालय द्वारा जारी चालान के माध्यम से जमा करने की स्थिति में चालान नम्बर, दिनॉक एवं धनराशि का उल्लेख करें।

2. श्रेणी–आप जिस श्रेणी (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्ग) से सम्बन्धित हैं उसके सम्मुख कोष्ठक में सही का निशान लगाए।

3 एवं 4 पाठ्यक्रम का नाम एवं कोड नं.–पाठ्यक्रमका नाम जिनमें सीटें रिक्त हैं, अर्हता के अनुरूप पाठ्यक्रम का नाम एवं कोड सं का उल्लेख आवेदन पत्र के कमांक 3 एवं 4 में अवश्य करें।

कम सं	पाठ्यक्रम का नाम	कोड नं
1	5 वर्षीय एकीकृत यूजी/पीजी- अंग्रेजी	109
2	5 वर्षीय एकीकृत यूजी/पीजी- हिन्दी	110
3	5 वर्षीय एकीकृत यूजी/पीजी- लाइब्रेरी एण्ड इन्फार्मेशन साइंस	113
4	5 वर्षीय एकीकृत यूजी/पीजी- जर्नलिज्म एण्ड मास कम्यूनिकेशन	112
5	5 वर्षीय एकीकृत यूजी/पीजी- अर्थशास्त्र	107
6	5 वर्षीय एकीकृत यूजी/पीजी- इतिहास	111
7	5 वर्षीय एकीकृत यूजी/पीजी- राजनीति विज्ञान	116
8	5 वर्षीय एकीकृत यूजी/पीजी- मानवविज्ञान	101
9	5 वर्षीय एकीकृत यूजी/पीजी- समाज कार्य	123
10	5 वर्षीय एकीकृत यूजी/पीजी- वनस्पति विज्ञान	103
11	5 वर्षीय एकीकृत यूजी/पीजी- इलेक्ट्रानिक्स	108
12	5 वर्षीय एकीकृत यूजी/पीजी- ग्रामीण प्रौद्योगिकी	117
13	एम.काम.	317
14	एम.एससी.- इलेक्ट्रानिक्स	308
15	एम.एससी.- वानिकी	319
16	एम.एससी.- ग्रामीण प्रौद्योगिकी	318
17	एम.ए./एम.एससी.-मानवविज्ञान	320
18	एम.ए.- लोक प्रशासन	321
19	एम.ए.- राजनीति विज्ञान	328
20	एम.ए. इतिहास	322
21	एम.ए.-अर्थशास्त्र	323
22	एम.ए.-हिन्दी	324
23	एम.ए.-अंग्रेजी	325
24	एम.एम.सी.जे.	326
25	डिप्लोमा इन जर्मन लैंग्वेज	602
26	डिप्लोमा इन फ्रेंच लैंग्वेज	603

5. लिंग– यदि आप पुरूष हैं तो पुरूष के लिए बनाये गये बाक्स में सही का निशान लगायें और दूसरा बाक्स खाली रखें।यदि आप महिला हैं तो महिला के लिए बनाये गये बाक्स में सही का निशान लगाए और दूसरा बाक्स खाली रखें।

6. जन्म तिथि–हाईस्कूल के प्रमाण पत्र में अंकित अंग्रेजी कैलेन्डर के अनुसार बाक्स में जन्म का दिन, माह व वर्ष भरें।

डदाहरण– यदि आपकी जन्मतिथि 5 जून 1994 है, तो इसे नीचे दिये गये विवरण के अनुसार लिखें।

0	5		0	6		1	9	9	4

अधिकतम आयु– 1. स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम हेतु–1 जुलाई 2013 को सामान्य वर्ग हेतु 22 वर्ष अन्य पिछडे वर्ग हेतु 25 वर्ष तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग वर्ग हेतु 27 वर्ष होगी। 2. परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु–सामान्य वर्ग हेतु 25 वर्ष अन्य पिछडे वर्ग हेतु 28 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग वर्ग हेतु 30 वर्ष होगी।

7. अभ्यर्थी का नाम – अभ्यर्थी अपना नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में, हाईस्कूल के प्रमाणपत्र के अनुसार लिखें। नाम के दो शब्दों के बीच के एक बॉक्स खाली रखें। नाम से पहले श्री, श्रीमती, कुमारी, आदि न लिखें।

8. पिता का नाम –अभ्यर्थी पिता का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में, हाईस्कूल के प्रमाणपत्र के अनुसार लिखें। नाम के दो शब्दों के बीच के एक बॉक्स खाली रखें। नाम से पहले श्री, मि., डॉ. आदि न लिखें।

9. माता का नाम –अभ्यर्थी माता का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में, हाईस्कूल के प्रमाणपत्र के अनुसार लिखें। नाम के दो शब्दों के बीच के एक बॉक्स खाली रखें। नाम से पहले श्रीमती आदि न लिखें।

10. पत्राचार का पूरा पता– यहॉ अपना पूरा पता जैसे मकान नं, गॉव का नाम, क्षेत्र, डाकघर, जिला, राज्य, दूरभाष नं, मोबाइल नं तथा ईमेल का पता अपने सामान्य हस्तलेख में लिखें।

11. स्थायी पता– यहॉ अपना पूरा पता जैसे मकान नं, गॉव का नाम, क्षेत्र, डाकघर, जिला, राज्य, दूरभाष नं, मोबाइल नं तथा ईमेल का पता अपने सामान्य हस्तलेख में लिखें।

12 राष्ट्रीयता –भारतीय के लिए 1 लिखें अन्य के लिए 2 लिखें।

13. शारीरिक विकलांगता–शारीरिक विकलांग होने की स्थिति में उचित कोष्ठक में सही का निशान लगायें।

14. डोमिसाइल– अभ्यर्थी अपने राज्य का नाम लिखें जहां के मूल निवासी हैं।

15. धर्म–अभ्यर्थी जिस धर्म से संबंधित हो उसके नीचे कोष्ठक में सही का निशान लगायें।

16. अभ्यर्थी द्वारा हाईस्कूल, इन्टर, स्नातक, स्नात्कोत्तर एवं अन्य उत्तीर्ण परीक्षाओं का पूर्ण विवरण निर्देशानुसार अंकित करे ।सामान्य एवं अन्य पिछडे वर्ग हेतु अर्हता परीक्षा में **50 प्रतिशत** तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग वर्ग हेतु अर्हता परीक्षा में **उत्तीर्ण होना** अनिवार्य है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर– यहॉ अभ्यर्थी अपने सामान्य हस्तलेख में हस्ताक्षर करें।

घोषणा–घोषणा को ध्यानपूर्वक पढें तथा अपने सामान्य हस्तलेख में हस्ताक्षर करें। साथ ही साथ घोषणा में दिये गये उचित जगह पर स्थान का नाम एवं हस्ताक्षर का दिनॉक लिखें।

7.**फोटोग्राफ**–आवेदन पत्र के पृष्ठ क्रमांक 1 पर दिए गए बाक्स में अपना नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ चिपकाएं। फोटोग्राफ की छायाप्रति तत्काल निरस्त कर दी जाएगी। भविष्य में प्रवेश होने के स्थिति में उपयोग के लिए फोटोग्राफ की पर्याप्त अतिरिक्त प्रतियां कम से कम 4 रखें। हल्के रंग की पृष्ठ भूमि में कैमरे के सम्मुख खिंचाया हुआ नवीनतम फोटोग्राफ हो, जिसमें आंख एवं कान स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। रंगीन या काला चश्मा पहनकर खिचाई गई फोटो मान्य नहीं।

8. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेखों की सूची –

1. अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख अवश्य संलग्न करना चाहिए।
   - (i) मूल बैंक ड्राफ्ट **अथवा** बैंक चालान कापी ।
   - (ii) आवेदन पत्र में आरक्षण के समर्थन में प्रमाण पत्र।
     सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति, जैसा कि प्रवेश विवरणिका में उल्लेखित है। (केवल अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./शा.वि. श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये)
   - (iii) शैक्षिक योग्यता के समर्थन में अंकपत्र/प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

9. आवेदन पत्र एवं पात्रता /उम्मीदवारी निरस्त होने के कारण –

- ❖ प्रवेश शुल्क हेतु निर्धारित राशि का ''**कुलसचिव**, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर'' के पक्ष में जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंक चालान जमा न होने की स्थिति में ।
- ❖ आरक्षण की श्रेणी से संबंधित प्रमाण–पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति जमा न होने की स्थिति में।
- ❖ आवेदन पत्र पर फोटोग्राफ न लगाये जाने की स्थिति में।
- ❖ आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर आवेदक के हस्ताक्षर न होने की स्थिति में।
- ❖ आवेदन पत्र या किसी सहायक अभिलेख से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ होने की स्थिति में।
- ❖ निर्धारित तिथि के पश्चात् आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में।

नोट – प्रवेश प्रक्रिया के किसी भी चरण में यदि अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय प्रवेश नियमों के अनुरूप अयोग्य पाया जाता है तो उसकी पात्रता स्वतः निरस्त मानी जायेगी। कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र की जांच, न्यूनतम निर्धारित अर्हता/योग्यता, मूल प्रमाण पत्र (शैक्षणिक एवं आरक्षण आदि से संबंधित) की जांच की प्रक्रिया केवल प्रवेश के समय पूर्ण की जायेगी (प्रवेश हेतु बुलाये जाने की स्थिति में)। प्रवेश संबंधी योग्यता पूरी न करने की स्थिति में अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त मानी जायेगी।

10. जांच/परीक्षण सूची –

आवेदन पत्र जमा करने से पूर्व अधोलिखित की सावधानीपूर्वक जांच करें –

- क्या आपने निर्दिष्ट स्थान पर नवीनतम फोटोग्राफ (रंगीन) चस्पा किया है?
- क्या आपने निर्दिष्ट स्थानों पर हस्ताक्षर किए हैं?
- क्या आपने भविष्य के लिए फोटो ग्राफ की 4 प्रति अपने पास सुरक्षित रखा है।
- क्या आपने प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित राशि का डिमांड ड्राफ्ट /बैंक चालान (विश्वविद्यालय प्रति) संलग्न किया है।
- क्या आरक्षण श्रेणी संबंधी लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत (सक्षम प्राधिकारियों की सूची प्रवेश विवरणिका में उल्लिखित है।) प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न किया गया है।
- क्या आपने शैक्षिक योग्यता के समर्थन में समस्त अंकपत्रों/प्रमाणपत्रों की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न किया है ।

11. आवेदन जमा करना

(ङ) बैंक ड्राफ्ट /चालान कापी व अन्य अभिलेखों सहित आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से सम्बंधित विभाग के**विभागाध्यक्ष**, के कार्यालय मेंदिनांक 6 जुलाई 2013 तक जमा करने की सलाह दी जाती है। रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र 6 जुलाई 2013 तक या इससे पूर्व **विभागाध्यक्ष (विभाग का नाम) गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)** 495009 के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए । अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

12. आवेदन पत्र निम्न पते पर प्रेषित करें–

विभागाध्यक्ष,

विभाग का नाम–

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, कोनी, बिलासपुर

(छ.ग.) 495009

नोट–प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु अनिवार्य अर्हता का उल्लेख उपर दिया गया है। आवेदन करने से पूर्व अर्हता के सम्बंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लें ।